उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-539/2022/3955/41-2022-195(बजट)/2021
लखनऊ दिनांक 02 नवम्बर, 2022

संख्या-526/2022/3343/001-41-2022-195-बजट-2021, दिनांक 17.10.2022

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-5337/6-1-1(1323)/2021-22, दिनांक 20 अक्टूबर 2022 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद ललितपुर के ग्राम मसौरा कलॉ स्थित हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-526/2022/3343/001-41-2022-195-बजट-2021, दिनांक 17.10.2022 के पृष्ठांकन के क्रमांक-5 में **मुख्य कोषाधिकारी**, **आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ के स्थान पर** मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ अंकित हो गया है, जबकि इसके स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्टेट्र, लखनऊ अंकित होना चाहिए था।

2. अत: एतद्वारा शासनादेश संख्या-526/2022/3343/001-41-2022-195-बजट-2021, दिनांक 17.10.2022 के पृष्ठांकन के क्रमांक-5 पर अंकित **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** के स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी**, **आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 17.10.2022 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी ललितपुर।
5. **मुख्य कोषाधिकारी**, **आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट**, **लखनऊ।**
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, ललितपुर ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 6, 7 एवं 10 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, झांसी।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ललितपुर ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in